



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55658

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या - 146/2026

श्रीमती माया एवं अन्य.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: अविनाश ओझा, मंजीत गुप्ता

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति हरजीर सिंह,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. दिनांक 11.03.2026 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-
"1. दिनांक 19.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, बंदी आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है और उसकी उपस्थिति विधिवत दर्ज कर ली गई है।

2. इस न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर, बंदी ने कहा कि उसने हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार एक मंदिर में सैफ नामक व्यक्ति के साथ विवाह किया है। हालांकि, जब न्यायालय ने कथित विवाह के विवरण के बारे में आगे पूछताछ की, जिसमें पति के परिवार के सदस्यों जैसे कि सास और अन्य रिश्तेदारों की पहचान और विवरण, साथ ही उक्त विवाह की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सामग्री शामिल थी, तो बंदी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रही और चुप रही।
3. बातचीत के दौरान, इस न्यायालय ने यह भी पाया कि बंदी अपने ससुराल के संबंध में प्रासंगिक विवरण या उन परिस्थितियों का खुलासा करने में असमर्थ थी जिनके तहत कथित विवाह संपन्न हुआ था। बंदी की ओर से किसी भी सहायक सामग्री या संतोषजनक उत्तर के अभाव में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि मामले में आगे सत्यापन और सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है।
4. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और बंदी की सुरक्षा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बंदी को एक सप्ताह की अवधि के लिए नारी निकेतन, खुल्दाबाद, प्रयागराज भेजने का निर्देश देना उचित समझता है, ताकि वह सुनवाई की अगली तारीख तक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में रह सके।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. सुनवाई की अगली नियत तिथि पर, बंदी के माता-पिता (प्राकृतिक संरक्षक), कथित पति (प्रत्यर्थी संख्या 4), साथ ही बंदी के ससुराल वाले इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। वे कथित विवाह के समर्थन में यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सामग्री उपलब्ध हो, तो उसे भी प्रस्तुत करेंगे, ताकि यह न्यायालय वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने में सक्षम हो सके।
6. इस मामले को 18.03.2026 को फ्रेश के रूप में सूचीबद्ध करें।”

3. आज, जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो उपरोक्त आदेश दिनांक 11.03.2026 के अनुपालन में बंदी, उसका कथित पति (प्रत्यर्थी संख्या 4) और बंदी की माता एवं भाई इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

4. इस न्यायालय द्वारा पूछताछ किए जाने पर, बंदी ने अपनी माता और भाई के साथ जाने और अपने पैतृक घर पर रहने से इनकार कर दिया है, जबकि कथित पति मंदिर में हुए कथित विवाह का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करने में विफल रहा है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, भले ही कोई विवाह कथित रूप से संपन्न हुआ हो, उक्त विवाह 'वॉयड एब इनिशियो' (प्रारंभ से ही शून्य) है, क्योंकि बंदी और कथित पति (प्रत्यर्थी संख्या 4) का धर्म अलग-अलग है, इसलिए विवाह मंदिर में तब तक संपन्न नहीं हो सकता, जब तक कि दोनों पक्ष एक या दूसरे धर्म में परिवर्तित न हो जाएं और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त न कर लें। अतः, यदि किसी भी प्रकार का विवाह संपन्न होना बताया गया है, तो वह प्रारंभ से ही शून्य है और कानून की दृष्टि में उसे विवाह नहीं माना जा सकता है। दूसरा, यदि विवाह किसी विशेष धर्म के रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ है, तो उक्त विवाह उसी रीति से तब संपन्न होना चाहिए था जब दोनों पक्ष एक ही धर्म के होते। इसके अलावा, बंदी वर्तमान तिथि में नाबालिग है, इसलिए या तो उसकी कस्टडी उसके माता-पिता को दी जा सकती है या उसे नारी निकेतन में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि बंदी ने निकट भविष्य में वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है।

6. ऐसे परिस्थितियों में, बंदी नारी निकेतन में रहना जारी रखेगी, जहाँ वह वर्तमान में रह रही है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, उसके बाद परिणामी कार्यवाही होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि, आज की तिथि तक, पक्षों के बीच जो भी विवाह संपन्न हुआ है, वह किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कानूनी विवाह प्रतीत नहीं होता है।

7. वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति)

मार्च 18, 2026

गुरप्रीत सिंह

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"